विदेशी मेलों के लिए 1 करोड़ तक की मदद देगी सरकार

MSME कारोबारियों के लिए अमेरिकी टैरिफ के चलते लाई गई प्रोत्साहन योजना

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ

अमेरिकी टैरिफ से निपटने और एमएसएमई कारोबारियों को व्यापार बढ़ाने के लिए राज्य सरकार वित्तीय सहायता देगी। विदेश में स्टॉल लगाने और डिजिटल मार्केटिंग के लिए मदद करेगी। इसके लिए एक महीने पहले निर्यातकों को प्रोत्साहन ब्यूरो में आवेदन करना होगा। त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना के तहत यह लाभ दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव एमएसएमई आलोक कुमार ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।

शासनादेश के मुताबिक विदेशी या अंतरराष्ट्रीय स्तर के मेला-प्रदर्शनी, बायर्स-सेलर्स मीट में शामिल होने या आयोजन के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। निर्यात उत्पादों के प्रचार के लिए विज्ञापन, कैटलॉग प्रिंटिंग, वेबसाइट विकास, डिजिटल सामग्री विकास, डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया विज्ञापन पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। विदेशी खरीदार को नमूना भेजने के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाएगी

ये मिलेगी रियायत : निर्यातक इकाई के व्यक्तिगत रूप से विदेशी मेला-प्रदर्शनी या बायर्स-सेलर्स मीट में शामिल होने और वहां स्थान किराए पर लेने पर खर्च राशि का 75 प्रतिशत या अधिकतम 3.25 लाख रुपये दिया जाएगा। मेला प्रदर्शनी में इकाई के मालिक, साझेदार, निदेशक या अधिकृत व्यक्ति द्वारा इकॉनमी क्लास हवाई किराए खर्च का 75 प्रतिशत या अधिकतम 1.25 लाख रुपये दिया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय वर्चुअल बी2बी एक्जिबीशंस या बायर्स-सेलर्स मीट में शामिल होने वाली इकाइयों के कुल खर्च का 75 प्रतिशत या 25000 रुपये प्रति फेयर के हिसाब से दिया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्वदेशी मेला प्रदर्शनी में शामिल होने पर खर्च का 75 प्रतिशत या अधिकतम एक करोड़ रुपये आयोजक संस्था को दिए जाएगा। इसमें न्यूनतम 30 इकाइयों का शामिल होना अनिवार्य होगा। वर्चुअल मेला प्रदर्शन पर खर्च के लिए 25 लाख रुपये सहायता दी जाएगी। इसमें न्यूनतम 100 इकाइयों के शामिल होने की अनिवार्यता होगी। मेले या प्रदर्शनी में न्यूनतम 75 प्रतिशत विदेशी खरीदार होना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग व प्रचार-प्रसार पर खर्च का 75 प्रतिशत या एक लाख रुपये वित्तीय सहायता दी जाएगी। अंतरराष्ट्रीय मेलों में निर्यातक इकाइयों के व्यक्तिगत रूप से शामिल होने और वहां स्थान किराए पर लेने पर खर्च राशि का 75 प्रतिशत या 75 हजार रुपये दिया जाएगा। विदेश में मेला प्रदर्शनी या मीट में शामिल होने वाली इकाइयों को कुल व्यय राशि का 75 प्रतिशत या एक करोड़ रुपये तक सहायता आयोजक संस्था को दिया जाएगा।

सूबे के 95 इलाकों में भूजल स्तर सुधारेगी योगी सरकार

■ **NBT रिपोर्ट, लखनऊ :** केंद्र सरकार की अटल भूजल योजना को भले ही प्रदेश में बंद कर दी गई हो, लेकिन राज्य सरकार अपने बजट से प्रदेश में राज्य अटल भूजल योजना चलाएगी। इस योजना के पहले चरण में उन 95 ब्लॉक्स में भूजल स्तर बढ़ाने पर जोर होगा, जो ओवर एक्सप्लॉइटेड (जहां हॉटर लेवल लगातार नीचे जा रहा है) हो चुके हैं। अटल भूजल योजना के अंतर्गत भूगर्भ जल विभाग इन 95 ब्लॉक्स की वॉटर बजटिंग कर भूजल के स्तर को सुधारेगा। धीरे-धीरे ये योजना पूरे प्रदेश में चलाई जाएगी।

बनेगा वॉटर सिक्यॉरिटी प्लान : भूगर्भ जल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक भूजल स्तर सुधारने के लिए पहले चरण में जिन 95 ब्लॉक्स में अटल भूजल योजना को शुरू किया जाना है, उसमें सबसे पहले वॉटर सिक्यॉरिटी प्लान बनाया जाएगा। वॉटर सिक्यॉरिटी प्लान में ये तय किया जाएगा कि ब्लॉक्स में कितना ग्राउंड वॉटर मौजूद है। साथ ही वैज्ञानिक विधि से ये भी आंका जाएगा कि इन ब्लॉक्स की पानी की क्या जरूरतें हैं। फसल उत्पादन में कितने भूजल का इस्तेमाल होगा, पीने के पानी के रूप में कितने भूजल का उपयोग होगा। इसके बाद वॉटर

केंद्र ने बंद की अटल भूजल योजना, प्रदेश सरकार अब अपने बजट से चलाएगी

बजटिंग की जाएगी, जिससे कि भूजल की बर्बादी न के बराबर हो।

सुधारा जाएगा भूजल स्तर : भूगर्भ जल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक्स में भूजल स्तर बढ़ाने के लिए सबसे पहले वॉटर रीचार्जिंग की व्यवस्था की जाएगी। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों और शहरी क्षेत्रों में पार्कों पर फोकस होगा। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में खेत तालाब का निर्माण किया जाएगा। साथ ही खेती की पद्धति में सुधार के लिए किसानों को प्रेरित किया जाएगा। इसके तहत किसानों को ड्रिप वॉटर इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इससे कम पानी में बेहतर खेती की जा सके और भूजल स्तर में भी सुधार आए।